दिनांकः–17.07.2020 को सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के चयन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– संलग्न सूची अनुसार।

सर्वप्रथम उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

कार्यावली–01 :–मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना अन्तर्गत **अति पिछड़ा वर्ग** के 55 लाभार्थियों का दिनांक–17.06.2020 से 30.06.2020 तक चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना में प्रशिक्षण कराया गया है। प्रशिक्षणोपरांत संस्थान द्वारा डी0पी0आर0 उपलब्ध करायी गई है। जिसमें 55 अभ्यर्थियों हेतु कुल स्वीकृत राशि रू0 5,39,43,789/– (पाँच करोड़ उनतालीस लाख तेतालीस हजार सात सौ नवासी) पर चयन समिति का अनुमोदन प्राथिंत है।

निर्णय :– इस योजनान्तर्गत प्रशिक्षित 55 अभ्यर्थियों हेतु कुल राशि रू0 5,39,43,789/– (पाँच करोड़ उनतालीस लाख तेतालीस हजार सात सौ नवासी) पर स्वीकृति प्रदान की गई (सूची संलग्न)।

कार्यावली–02 :–मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना अन्तर्गत **अति पिछड़ा वर्ग** के 53 लाभार्थियों का दिनांक–29.06.2020 से 11.07.2020 तक ललित नारायण मिश्रा इन्स्टीच्यूट, पटना में प्रशिक्षण कराया गया है। प्रशिक्षणोपरांत संस्थान द्वारा डी0पी0आर0 उपलब्ध करायी गई है। जिसमें 53 अभ्यर्थियों हेतु कुल स्वीकृत राशि रू0 5,29,06,568/– (पाँच करोड़ उनतीस लाख छः हजार पाँच सौ अड़सठ) पर चयन समिति का अनुमोदन प्राथिंत है।

निर्णय :– इस योजनान्तर्गत प्रशिक्षित 53 अभ्यर्थियों हेतु कुल राशि रू0 5,29,06,568/– (पाँच करोड़ उनतीस लाख छः हजार पाँच सौ अड़सठ) पर चयन समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई (सूची संलग्न)।

कार्यावली–03 :–मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना अन्तर्गत दिनांक–27.04.2020, 12.05.2020 एवं 27.06.2020 को हुई चयन समिति की बैठक में **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति** वर्ग से कुल 86 अभ्यर्थियों का चयन समिति द्वारा चयनित किया गया था, परन्तु कैमुर, रोहतास, सीतामढ़ी एवं औरंगाबाद जिलों का लक्ष्य पूर्ण होने के कारण 44 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु लम्बित रखा गया है। शेष 42 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु सीपेट, हाजीपुर भेजा गया है। उक्त पर चयन समिति का अनुमोदन प्राथिंत है।

निर्णय :– चयन समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।

कार्यावली–04 :–मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना अन्तर्गत **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति** वर्ग से संबंधित दिनांक–06.03.2020 को हुई चयन समिति की बैठक में कार्यावली संख्या–02 पर लिये गये निर्णय के आलोक में टूरिज्म टैक्सी परियोजना परिवर्तन हेतु श्री आशीष पासवान, CMSCST201802301 का प्रथम किस्त के व्यय विवरणी प्रतिवेदन महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जमूई से प्राप्त कर लिया गया है। उक्त परियोजना परिवर्तन पर चयन समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय :– परियोजना परिवर्तन के लिये संस्थान से परिवर्तित परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय।

इस बैठक में जिन सदस्यों द्वारा भाग नहीं लिया गया है। उन्हें कार्यवाही की प्रति भेजते हुए 07 (सात) दिनों में उनसे मंतब्य की मांग की गई थी, परन्तु 07 (सात) दिनों के अन्दर कोई मंतव्य प्राप्त नहीं हुआ है। अतः यह समझा जाता है कि चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय से वे सहमत है और इसपर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

सचिव महोदय की अनुमति से बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1023 / पटना, दिनांक– 05.08.2020

स0 सं0–4तक0/चयन समिति बै0 /40/2020 (खण्ड)

प्रतिलिपिः–बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों/ सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, तकनीकी विकास, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी नोडल पदाधिकारी एवं सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (तक0),
तकनीकी विकास निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1023 / पटना, दिनांक– 05.08.2020

स0 सं0–4तक0/चयन समिति बै0 /40/2020 (खण्ड)

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (तक0),
तकनीकी विकास निदेशालय,
बिहार, पटना।

(3)